



## राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



क्रमांक: प1(1)कार्मिक/बोमी/परिचलन प्रस्ताव सं.241/2017/790

दिनांक : 14/6/17

### प्रस्ताव (RESOLUTION) संख्या-241/2017

वस्तु एवं सेवाकर (GST) कानून को मण्डल में लागू किये जाने हेतु नवीन प्रकोष्ठ एवं कोर टीम का गठन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 241/2017 परिचलन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।


उक्त संदर्भ में माननीय संचालक मण्डल सदस्यों की 4/5 बहुमत से सहमति प्राप्त हो जाने पर एतद्द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
सचिव

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभि०-मु०/1/II, रा.आ.मं, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. माननीय संचालक मण्डल सदस्य- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल/अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल/मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/निदेशक विधि/मुख्य संपदा प्रबन्धक/उप सचिव/सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)/कम्प्यूटर्स प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-I/II/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, क्यूसी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
9. समस्त प्रकोष्ठ, मुख्यालय .....
10. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक